झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति (विज्ञापन संख्या–04/2018) के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञापन संख्या–04/2018 के अंतर्गत साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को आयोग के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–10.02.2022 की कंडिका – 1(i) के माध्यम से सूचित किया गया है।

2. चयन प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया है कि विज्ञापन की कंडिका 6(iv) के आलोक में कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध तीन गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उचित संख्या में उपस्थित नहीं हो रहे है। इसको दृष्टि में रखते हुए आयोग द्वारा उपर्युक्त कंडिका 1(i) में निम्नवत् संशोधिन किया है:–

''अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में विज्ञापन की कंडिका–6(ii) हेतु दावे किये गये अंकों पर अवरोही क्रम में विचार करते हुए कोटिवर रिक्ति के लिए 05 गुणे अभ्यर्थियों के औपबंधिक रूप से आवंटित अंक एवं कोटिवार Cut Off Marks को प्रकाशित किया जायेगा। इस आंवटित अंक के विरूद्ध इन अभ्यर्थियों को आपत्ति (अंक बढ़ोतरी के संबंध में) समर्पित करने का अवसर दिया जायेगा। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवदेन पत्र में विज्ञापन की कंडिका–6(ii) के लिए प्रकाशित Cut Off Marks से अधिक या बराबर अंक का दावा किया है परन्तु उनका अंक प्रकाशित नहीं किया गया है, को भी आपत्ति समर्पित करने का अवसर दिया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात कोटिवार रिक्ति के **05 (पाँच) गुणा** अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात् अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से मेधाक्रमानुसार कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध 03 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।''

3. उपर्युक्त संशोधित कंडिका–1(i) के क्रम में विज्ञापन अंतर्गत **Kurukh** विषय के रिक्ति के 05 गुणा अभ्यार्थियों का औपबंधिक रूप से आवंटित अंक(अवरोहि क्रम में विचार करते हुए) आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

4. जिन अभ्यर्थियों का औपबंधिक प्राप्तांक प्रकाशित किया गया है वो अपना जन्मतिथि एवं निबंधन संख्या दर्ज कर अपना प्राप्तांक देख सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगे कि उसे प्रकाशित अंक से अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए तो वह अपना दावा संगत प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के साथ आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित निर्देश के आलोक में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना भरकर केवल email के माध्यम से **email id-ap42018@jpsc.gov.in** पर दिनांक–12.11.2022 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में विज्ञापन की कंडिका–6(ii) के लिए प्रकाशित Cut of marks से अधिक या बराबर अंक का दावा किया है परन्तु उनका अंक प्रकाशित नहीं किया है, वे भी अपने आपत्ति दिनांक–12.11.2022 तक email id-ap42018@jpsc.gov.in पर समर्पित कर सकते हैं। दिनांक–12.11.2022 के बाद प्राप्त email पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के क्रम में आवंटित अंक के आधार पर मेधाक्रमानुसार **05 गुणा** अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर दिनांक–13.11.2022 को उपलब्ध रहेगा। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में दिनांक–14.11.2022 को पूर्वाह्न 9:30 बजे से निर्धारित है।

6. अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से मेधाक्रमानुसार कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध साक्षात्कार हेतु योग्य पाये जाने वाले **03 गुणा** अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार संबंधित निदेश आयोग के वेबसाईट पर दिनांक–14.11.2022 को उपलब्ध रहेगा।

7. साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक–17.11.2022 को पूर्वाह्न 9:30 बजे से निर्धारित है।

ह0/–
उप सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।